रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012022-232694
CG-DL-E-17012022-232694

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 17, 2022/पौष 27, 1943
No. 199] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 17, 2022/PAUSHA 27, 1943

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 2022

का.आ. 203(अ).—कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित, भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कोंकण रेल निगम लिमिटेड (केआरसीएल) भारत के पश्चिमी तट के साथ (इसमें इसके पश्चात् 'कोंकण रेलवे लाइन' के रूप में संदर्भित) महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के ठोकुर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के निर्माण, संचालन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है और केआरसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को रेल अधिनियम, 1989 (1989 का अधिनियम सं. 24) की धारा 2 (32) के अंतर्गत केआरसीएल के "रेल प्रशासन" के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है।

[सं. 2022/ओएंडएम/5/1]
आर एन सिंह, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)
NOTIFICATION

New Delhi, the 14th January, 2022

S.O. 203(E).—Konkan Railway Corporation Limited (KRCL), a Public Sector Undertaking of the Government of India, incorporated under the companies Act, 1956, is responsible for construction, operation and maintenance of the railway line connecting Roha in the State of Maharashtra to Thokur in the state of Karnataka along the West Coast of India (hereinafter referred to as 'Konkan Railway Line') and the Chairman & Managing Director(CMD) of KRCL is designated as "Railway Administration" of KRCL under Section 2(32) of the Railways Act, 1989(Act No. 24 of 1989).

[No. 2022/O&M/5/1]
R N SINGH, Secy.

292 GI/2022

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.01.17 21:34:23 +05'30'

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

(To be published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section 3,Sub-Section(ii))

NOTIFICATION

Konkan Railway Corporation Limited (KRCL), a Public Sector Undertaking of the Government of India, incorporated under the companies Act, 1956, is responsible for construction, operation and maintenance of the railway line connecting Roha in the State of Maharashtra to Thokur in the state of Karnataka along the West Coast of India (hereinafter referred to as 'Konkan Railway Line') and the Chairman & Managing Director(CMD) of KRCL is designated as "Railway Administration" of KRCL under Section 2(32) of the Railways Act, 1989(Act No. 24 of 1989).

No. 2022/O&M/5/1
Date: 14.01.2022

(R N Singh)
Secretary, Railway Board

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

(भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II, खंड-3 उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

अधिसूचना

कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित, भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कोंकण रेल निगम लिमिटेड (केआरसीएल) भारत के पश्चिमी तट के साथ (इसमें इसके पश्चात् 'कोंकण रेलवे लाइन' के रूप में संदर्भित) महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के ठोकुर को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के निर्माण, संचालन और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है और केआरसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को रेल अधिनियम, 1989 (1989 का अधिनियम सं. 24) की धारा 2 (32) के अंतर्गत केआरसीएल के "रेल प्रशासन" के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाता है ।

सं.2022/ओएंडएम/5/1
दिनांक: 14.01.2022

(आर एन सिंह)
सचिव, रेलवे बोर्ड